न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

1. प्रकरण संख्या :– डिक्री 238 सन 2018
पंजीयन दिनांक :– 04.10.2018

1. लालुराम पिता घीसा पुर्बिया(गाडरी) निवासी माताजी की पाण्डोली तहसील व जिला चितौडगढ
2. रतनलाल पिता घीसा पुर्बिया(गाडरी) निवासी माताजी की पाण्डोली तहसील व जिला चितौडगढ

–अपीलांटगण

विरूद्ध

1. रतनी पुत्री कालु पत्नी मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) – मृतक के बजाय
   1/1. मांगीलाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चितौडगढ
   1/2. गोपाललाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चितौडगढ
   1/3. लालाराम पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चितौडगढ
   1/4. भैरूलाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चितौडगढ
2. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार चितौडगढ तहसील व जिला चितौडगढ

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चितौडगढ बमिसल क्रमांक 136/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2018

उपस्थित– 1. भगवत सिंह गिलुण्डिया– अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. सुरेशचन्द शर्मा– अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

2. प्रकरण संख्या :- डिक्री 225 सन 2018

पंजीयन दिनांक :- 06.09.2018

1. रतनी पुत्री कालु पत्नी मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) - मृतक के बजाय

1/1. मांगीलाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चितौडगढ

1/2. गोपाललाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चितौडगढ

1/3. लालाराम पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चितौडगढ

1/4. भैरूलाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चितौडगढ

-अपीलांटगण

विरूद्ध

1. श्रीमती प्रतापी बेवा गंगाराम जाति गाडरी निवासी पाण्डोली (नाम तर्क किया)
2. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार चितौडगढ तहसील व जिला चितौडगढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चितौडगढ बमिसल क्रमांक 136/2017 वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2018

उपस्थित- 1. सुरेशचन्द शर्मा - अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2

निर्णय

दिनांक:-27.12.2023

प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत मौजा पाण्डोली तहसील चितौडगढ की आराजी नम्बर 1353 रकबा 0.85 हैक्टर आराजी नम्बर 1375 रकबा 0.26 हैक्टर आराजी नम्बर 1378 रकबा 0.33 हैक्टर आराजी नम्बर 1379 रकबा 0.3 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.47 हैकटर जो वर्तमान में मृतक प्रतिवादिया प्रतापी के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि आराजियात के साबिक आराजी नम्बर 569/3 रकबा 10 बीघा थे जो वादिया रतनी के पिता कालू पिता केला भील को

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आवंटन से प्राप्त थी। स्वर्गीय कालू जी ने इस पर अपनी अंग मेहनत कर उपयोग उपभोग योग्य बनाया व कुंआ खुदवाया। स्वर्गीय कालू के देहान्त के बाद वादिया रतनी मृतक के वैधानिक वारिस होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रतिवादिया प्रतापी व उसके पिता गंगाराम का उक्त आवंटित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा जिससे रेस्पोर्डेट वादिया उक्त कृषि आराजियात अपने नाम खातेदारी घोषणा कराने की अधिकारी है। अपीलांट्गण की माता प्रतिवादिया के द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से दिनांक 04.05.1978 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का उल्लंघन कर अपने नाम नीलामी के द्वारा विक्रय होना बताकर रेस्पोर्डेट वादिया के पिता कालू पिता केला के बजाय अपना नाम दर्ज करा दिया। उक्त आवंटित भूमि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से गैर अनूसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम खातेदारी में दर्ज होने का कोई प्रावधान नही है। इस प्रकार का इन्द्राज शून्य व प्रभावहीन है। रेस्पोर्डेट वादिया उक्त इन्द्राज को सही कराने की अधिकारी होने व प्रतिवादी प्रतापी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में वादपत्र रेस्पोर्डेन्ट वादिया प्रस्तुत किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोर्डेट वादिया रतनी की ओर से वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस जारी किये गये। वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादिया प्रतापी की मृत्यु हो चुकी थी व उसके पूर्व पति गंगाराम की भी मृत्यु हो चुकी है। मृतका की कोई जायंदा संतान नही होने व उसके विधिक वारिसान नही होने से प्रतिवादिया का नाम विलोपित करने का निवेदन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोर्डेट संख्या 1 वादिया की ओर से नकल जमाबंदी नकल मिलान क्षैत्रफल, नामान्तरण पंजिका, विक्रय विलेख प्रस्तुत किये। उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट पाण्डोली में नियत की जाकर रेस्पोर्डेट संख्या 1 वादिया का वादपत्र निरस्त किया जाकर उक्त आराजियात को बिलानाम सरकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान की ओर से प्रथम अपील प्रार्थना पत्र 96 जाब्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत की गई व प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया गया कि प्रतिवादिया प्रतापी का उक्त आराजियात पर कभी कब्जा नही रहा है। अपीलांट्गण ही उक्त कृषि आराजियात पर काबिज होकर निरन्तर कब्जे काश्त चले आ रहे है जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादिया का वादपत्र निरस्त कर विवादित कृषि आराजियात को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का जो निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की इससे पूर्व वादिया अपीलांट रतनी बाई ने भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो अपील क्रमांक 225/2018 विचाराधीन है। दोनो ही अपीलो में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.7.2018 जिसमें रेस्पोर्डेट रतनी जिसका दौराने अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

स्वर्गवास होकर जिसकी विधिक वारिसान रेकार्ड पर है ने चुनौती दी है जिससे अपील क्रमांक 225/2018 व अपील क्रमांक 238/2018 में एक ही तथ्य होने से दोनो अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

दोनो अपीले दर्ज रजिस्टर की जाकर दोनो अपीलों के रेस्पोर्डेंटगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर हमकिता की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम की गई।

अपील क्रमांक 238/2018 के अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाब्ता दीवानी का उल्लेख करते हुये अपील में निवेदन किया गया कि विवादित कृषि आराजियात पर न तो वादिया रतनी ओर न ही प्रतिवादी प्रतापी का कब्जा रहा है। विवादित कृषि आराजियात पर अपीलांटगण का कब्जा चला आ रहा है फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना कब्जे के वादिया रतनी का वादपत्र निरस्त किया जाकर उक्त कृषि आराजियात को राजस्व लोक अदालत के तहत गुणावगुण पर निर्णय पारित करते बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरूद्ध अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/4 व राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अपील क्रमांक 225/2018 में अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत के तहत बिना किसी राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित कर अपीलांट वादिया का वादपत्र निरस्त कर विवादित कृषि आराजियात को बिलानाम सरकार घोषित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत नही होने से अपीलार्थी रतनी के वारिसान की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर वादिया रतनी का वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होना बताते हुये अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील का निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की ओर से अपील क्रमांक 238/2018 व अपील क्रमांक 225/2018 पर की गई बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व उक्त पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में वादिया ने अपने पिता कालू पिता केला भील को साबिक आराजी नम्बर 569/3 रकबा 10 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 1353, 1375 , 1378, 1379 किता 4 रकबा 1.47 हैक्टर जो कि वर्तमान में प्रतापी बेवा गंगाराम प्रतिवादिया के नाम नीलामी विक्रय से हो जाना व उक्त नीलामी विक्रय राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिनियम, 1955 की धारा 42 के विरूद्ध होना बताते हुए खातेदारी में दर्ज किये जाने का वादपत्र प्रस्तुत किया व उक्त आराजी वर्तमान में प्रतापी के खाते में दर्ज रेकार्ड है व प्रतापी का भी दौराने अपील स्वर्गवास हो चुका है। प्रतापी के पूर्व उसके पति गंगाराम का स्वर्गवास हो जाना राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है। अपीलांट्गण जिन्होने धारा 96 के आवेदन के साथ इस आधार पर अपील प्रस्तुत की है कि प्रतापी प्रतिवादिया व उसके पति गंगाराम का उक्त कृषि आराजियात पर कभी कब्जा नही रहा है । वर्तमान में उक्त भूमि अपीलांट्गण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। कब्जे के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में पक्षकार नही होते हुये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की है। दोनो प्रार्थना पत्र धारा 96 व धारा 5 कानून म्याद अधिनियम स्वीकार योग्य नही होने से अपील क्रमांक 238/2018 अस्वीकार की जाती है व अपील क्रमांक 225/2018 जिसमें वादिया रतनी ने इस न्यायालय में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा वादपत्र निरस्त किया व उक्त कृषि आराजियात को बिलानाम सरकार घोषित किये जाने की डिक्री पारित की जिससे असंतुष्ट होकर प्रथम अपील प्रस्तुत की है जबकि वादिया रतनी के पिता केला ने इस कृषि आराजियात पर ऋण लिया था व उक्त ऋण चुक्ता नही होने से उक्त कृषि आराजियात की नीलामी गंगाराम के नाम कन्फर्म हुई है व गंगाराम के नाम उक्त कृषि आराजियात दर्ज हुई है। गंगाराम व उसकी पत्नी प्रतिवादीया प्रतापी लाऔलाद फौत हो जाने से व उसके कोई जायंदा वारिस नही होने से उक्त कृषि आराजियात को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार घोषित किये जाने की जो निर्णय व डिक्री पारित की गई है वह विधिसम्मत होने से व अपील क्रमांक 238/2018 में भी कोई कानूनी बल नही होने से खारिज हो चुकी है व अपील क्रमांक डिक्री 225/2018 निरस्त योग्य है।

फलस्वरुप अपील क्रमांक डिक्री 238/2018 व अपील क्रमांक डिक्री 225/2018 निरस्त की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितौडगढ प्रकरण संख्या 136/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2018 यथावत रखा जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
(संदीप सिंह शक्तावत)
चित्तौड़गढ़ (राज.)
आर.ए.एस
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्या 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 225/2018/डिक्री

1. रतनी पुत्री कालु पत्नी मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) - मृतक के बजाय

1/1. मांगीलाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चितौडगढ

1/2. गोपाललाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चितौडगढ

1/3. लालाराम पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चितौडगढ

1/4. भैरूलाल पिता मोहनलाल भील निवासी डगला का खेडा (मजरा खर्राटा) तहसील व जिला चितौडगढ

-अपीलांट्गण

विरूद्ध

1. श्रीमती प्रतापी बेवा गंगाराम जाति गाडरी निवासी पाण्डोली (नाम तर्क किया)

2. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार चितौडगढ तहसील व जिला चितौडगढ

-रेस्पोडेन्ट्गण

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितौडगढ प्रकरण संख्या 136/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2018 वाद पत्र धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : अपील क्रमांक डिक्री 225/2018 निरस्त की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितौडगढ प्रकरण संख्या 136/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2018 यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,............................ द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे .... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ